

South East Central Railway

कार्मिक विभाग, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, बिलासपुर

Personnel Department, Divisional Railway Manager Office, Ballarpur

संख्या E/SA/Rectt./EDU/Cont.Teacher/2025-26/E-64230

दिनांक:- 24-02-2025

शुद्धिपत्र

इस कार्यालय द्वारा अधिसूचना संख्या E/SA/Rectt./EDU/Cont.Teacher/2025-26/E-64230 दिनांक 19-02-2025 के तहत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल में शिक्षा विभाग के रिक्त पदों को भरने हेतु सत्र 2025-26 हेतु अंशकालिक संविदात्मक (Contractual) शिक्षकों के अनुबंध के लिए दिनांक 19-02-2025 को अधिसूचना जारी किया गया है। उक्त अधिसूचना में सभी विषयों (पी.जी.टी., टी.जी.टी. एवं पी.एस.टी.) के लिए अनुबंध हेतु वांछित योग्यता, सेवा शर्तें एवं भुगतान से संबंधित दर्शाए गये सारे दिशानिर्देश द. पू.म. रेलवे द्वारा जारी स्थापना नियमों 230/07, 123/09, 66/10, 52/12, 219/13, 139/14, 37/16, 129/18, 127/2022 & 200/2024 एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के अधिसूचना दिनांक 28-06-2018 के अनुरूप है।

वर्तमान में रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आरबीई संख्या 11/2025 दिनांक 04-02-2025 के तहत प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में सुधार किया गया है। जिसके अनुरूप इस कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19-02-2025 में प्राथमिक शिक्षकों हेतु दर्शाए गए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता में सुधार कर निम्नलिखित जारी किया जा रहा है:

पद नाम	विषय	रिक्तियाँ	पूर्व में दर्शायी गयी वांछित योग्यता	वर्तमान में वांछित योग्यता
प्राइमरी स्कूल शिक्षक /बिलासपुर)	कक्षा V तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए।	34	i) कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा (इसके समकक्ष) में डिप्लोमा अथवा कम से कम 45 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा जो एन.सी.टी.ई. के (मान्यता, मानदंड और प्रक्रिया) नियम 2002 के अनुसार अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 4 वर्ष का प्राथमिक शिक्षा में स्नातक (बी.ई.एल.ई.डी.) अथवा कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी या इसके समकक्ष और 2 वर्ष का शिक्षा में डिप्लोमा (विशेष शिक्षा में) अथवा स्नातक और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा अथवा 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक(बी.एड.) अथवा कम से कम 55 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर (अध्यापन विषय में) अथवा समकक्ष ग्रेड और तीन वर्ष का एकीकृत बी.एड. -एम.एड। और ii) एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टी.ई.टी.) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास।	i) कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)। अथवा कम से कम 45% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) और एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया), विनियमन 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे वह किसी भी नाम से हो)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) और प्राथमिक शिक्षा में 4 वर्ष की स्नातक की डिग्री (बी.ई.एल.एड.)। अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ सीनियर सेकेंडरी (अथवा इसके समकक्ष) और शिक्षा (विशेष शिक्षा) में 2 वर्ष का डिप्लोमा। अथवा स्नातक तथा प्राथमिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो)। और ii) एनसीटीई द्वारा अध्यापक योग्यता परीक्षा (टी.ई.टी.) के प्रयोजन के लिए बनाए गए दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक योग्यता परीक्षा (टी.ई.टी.) में पास। और iii) आवश्यक माध्यम/मीडिया से पढ़ाने की क्षमता।
प्राइमरी स्कूल शिक्षक /शहडोल)	कक्षा V तक सभी विषयों को पढ़ाने के लिए।	07		

	File No.	SECR-BSP0PERS(EMAT)/3/2022-O/o Sr.DPO/BSP/SECR
		iii) आवश्यक माध्यम/मीडिया से पढ़ाने की क्षमता।

नोट:- अधिसूचना दिनांक 19-02-2025 की शेष नियम एवं शर्तें यथावत रहेगा।

Digitally Signed by Ruheena

Tufail Khan

Date: 25-02-2025 10:20:44

Reason: Approved

(रुहीना तुफैल खान)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते व.मंडल कार्मिक अधिकारी